22/10/2018 पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी ने प्रमाण नोट प्रस्तुत करते हुए कहा जाता है प्रमाण बलाघात में कमीलमा है अतः प्रमाण नोट प्रस्तुत नहीं चाहिए निर्णय जारी है। पत्रावली में खारीज निर्णय लम्बित है कार्य स्थगित शुरू की जाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 14:50:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner